

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक- 29.12.2020

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से **कुल - 55 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा- 151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया ।**

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही-

01. थाना इटियाथोक द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. जितेन्द्र सोनकर उर्फ ननके पुत्र धर्मराज सोनकर नि० पण्डितपुरवा थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 461 / 20, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी ।

02. थाना धानेपुर द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. कमलेश कुमार वर्मा पुत्र स्व० हरीराम वर्मा नि० आनन्द नगर चौराहा थाना धानेपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 05 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 382 / 20, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी ।

03. थाना खोड़ारे द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. राजेन्द्र प्रसाद वर्मा पुत्र छवि वर्मा नि० केशव नगर ग्रन्ट थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 323 / 20, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी ।

04. थाना कौड़िया द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. आरिफ पुत्र अकबर नि० दुबहा बाजार थाना कौड़िया जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 241 / 20, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी ।

1 किलो 300 ग्राम नाजायज गांजा के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. लाला कुरैशी पुत्र सुतारी नि० अलीनगर लोनावा दरगाह थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा ।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु०अ०सं०- 312 / 20, धारा 8/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा ।

बरामदगी-

01. 1किलो 300 ग्राम अवैध गांजा ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 29.12.2020 को थाना खरगूपुर के उ0नि0 अरविन्द कुमार वर्मा मय पुलिस बल के क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मुखबिर खास की सूचना पर उक्त अभियुक्त को बंदौड़ा अलीनगर खड़ौरा मार्ग के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 1 किलो 300 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया । अभियुक्त को थाना खरगूपुर में एन0डी0पी0एस0 एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया ।

गिरफ्तारकर्ता टीम –

01. उ0नि0 अरविन्द कुमार वर्मा ।
02. उ0नि0 सुनील सिंह ।
03. हे0का0 विनोद पाण्डेय ।
04. का0 मंगला यादव ।

चोरी की योजना बनाते समय 04 अभियुक्त गिरफ्तार, 01 अदद अवैध तमंचा व 03 अदद नाजायज चाकू बरामद-

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. पंकज शुक्ला पुत्र रामफेरन शुक्ला नि0 हाड़ा बसेहरी थाना नानपारा जनपद बहराइच ।
02. अनवर जागा पुत्र कली मुद्दीन जागा नि0 जमदरा थाना को0देहात जनपद गोण्डा ।
03. अकील पुत्र पप्पू नि0 चकिया रोड थाना रुपईडिहा जनपद बहराइच ।
04. सरीफ अली पुत्र लतीफ नि0 हाड़ा बसेहरी थाना नानपारा जनपद बहराइच ।

पंजीकृत अभियोग -

01. मु0अ0सं0- 523 / 2020, धारा 401 भादवि0 थाना को0देहात जनपद गोण्डा ।
02. मु0अ0सं0- 524 / 2020, धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना को0देहात जनपद गोण्डा ।
03. मु0अ0सं0- 525 / 2020, धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना को0देहात जनपद गोण्डा ।
04. मु0अ0सं0- 526 / 2020, धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना को0देहात जनपद गोण्डा ।
05. मु0अ0सं0- 527 / 2020, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना को0देहात जनपद गोण्डा ।

बरामदगी-

01. 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 02 अदद जिंदा कारतूस ।
02. 03 अदद नाजायज चाकू ।
03. चोरी करने के उपकरण ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 28/29.12.2020 की रात्रि थाना को0देहात के उ0नि0 जितेन्द्र कुमार वर्मा मय हमराह फोर्स के क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि जरिए मुखबिर सूचना मिली कि मछली गाँव रोहवाँ नहर पुलिया के

पास कुछ लोग चोरी की योजना बना रहे हैं। मुखबिर खास की सूचना पर पुलिस बल द्वारा मौके पर पहुँचकर उक्त अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी करने के उपकरण बरामद किए गये। जामातलाशी के दौरान अभियुक्त अकील के पास से 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस, अभियुक्त पंकज शुक्ला, अभियुक्त शरीफ अली व अभियुक्त अनवर जागा के पास से 01-01 अदद नाजायज चाकू बरामद किया गया। अभियुक्तों को थाना को० देहात में गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तारकर्ता टीम-

01. उ०नि० जितेन्द्र कुमार वर्मा चौकी प्रभारी खोरहंसा थाना को० देहात।
02. हे०का० बालेन्द्र प्रताप सिंह।
03. हे०का० राजकिशोर।
04. का० राहुल यादव।
05. का० रोहित।
06. का० नागेन्द्र यादव।
07. का० सत्येन्द्र यादव।

जानलेवा हमला करने के 04 आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार, 02 अदद अवैध तमंचा व

01 अदद नाजायज चाकू बरामद –

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. तौफीक उर्फ काले पुत्र बुद्धू उर्फ ताज मो० नि० केदारपुर लेधौरा थाना महमूदाबाद जनपद सीतापुर।
02. मो० अशद उर्फ सद्दाम पुत्र मो० अहमद नि० दुर्जनपुर थाना सफदरगंज जनपद बाराबंकी।
03. रेहान वारिश उर्फ तज्जू पुत्र मो० शमी नि० जैदपुर रोड पल्हरी थाना को० नगर जनपद बाराबंकी।
04. अली जान पुत्र अकबर अली नि० केदारपुर लेधौरा थाना महमूदाबाद जनपद सीतापुर।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु०अ०सं०- 421 / 2020, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।
02. मु०अ०सं०- 422 / 2020, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।
03. मु०अ०सं०- 423 / 2020, धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

अनावरित अभियोग-

01. मु०अ०सं० – 396 / 2020, धारा 307, 427 भादवि०, 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 02 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 04 अदद जिंदा कारतूस।
02. 01 अदद नाजायज चाकू।
03. 01 अदद मो०साइकिल बिना नं० प्लेट।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 28/29.12.2020 की रात्रि प्र0नि0 वजीरगंज मय पुलिस बल के रात्रि गश्त, तलाश वांछित अभियुक्त व देखभाल क्षेत्र में खाना थे कि मुखबिर की सूचना पर दिनांक 07.12.2020 को पुलिस टीम पर जानलेवा हमला करने वाले उपरोक्त आरोपी अभियुक्तगणों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 02 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 04 अदद जिंदा कारतूस, 01 अदद नाजायज चाकू व 01 अदद मो0साइकिल बिना नं0 प्लेट बरामद किया गया। पूछताछ के दौरान उक्त आरोपी अभियुक्तगणों द्वारा दिनांक 07.12.2020 की घटना को कारित करना स्वीकार किया है गिरफ्तार अभियुक्तगणों को पंजीकृत अभियोग के तहत मा0 न्यायालय खाना कर दिया गया।

गिरफ्तारकर्ता टीम-

01. श्री संतोष तिवारी प्र0नि0 वजीरगंज मय टीम।